

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
टी०ए० मिस केस सं०-07/2018-19

दिनांक	आदेश	आदेश पर की कार्यवाही के दिप्पणी तारीख
24.04.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25.5.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25.5.18 को उपस्थापित करें।	
	<p><i>Beem</i> 24.4.18</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
25.05.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 1.2.6.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 1.2.6.18 को उपस्थापित करें।	
	<p><i>Beem</i> 25.5.18</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
12.06.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 688, दिनांक 12.06.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री सोमा उरांव, पिता-स्व० साखो उरांव, जाति-उरांव (अ.ज.जा.) ग्राम-राखा आसनतलिया, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-जुगीबेड़ा, थाना नं०-77, खाता नं०-39, प्लॉट नं०-207, रकवा 0.05 ए०, क्रेता श्रीमती मुनी कुजूर, पिता-स्व० मंगरा कुजूर, जाति-उरांव (अ.ज.जा.), ग्राम-वार्ड नं०-22, टोंकाटोली, पम्प रोड, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास विक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि विक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री सोमा उरांव, पिता-स्व० साखो उरांव, जाति-उरांव (अ.ज.जा.) ग्राम-राखा आसनतलिया, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना-चक्रधरपुर के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति उरांव (अ.ज.जा.) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के विक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा-279.119 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्रीमती मुनी कुजूर, पिता-स्व० मंगरा कुजूर, जाति-उरांव (अ.ज.जा.), ग्राम-वार्ड नं०-22, टोंकाटोली, पम्प रोड, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराएँ।	
	<p><i>Beem</i> 12.6.18</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p>	
	<p><i>Beem</i> 12.6.18</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p>	